राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1179/2017

केदार लाल प्रजापत —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सवाई माधोपुर।
4. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गंगापुर सिटी।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.08.2017
आदेश की दिनांक : 12.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : अनुपस्थित
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री आर.के. निगम, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति राजस्थान पंचायती नियम, 1996 के नियमों के तहत वेतनमान 825–1350 में ग्राम सेवक के पद पर दिनांक 20.01.1997 को पंचायत समिति कोटडा, उदयपुर में 2 साल की परिवीक्षा अवधि के लिए की गई। आदेश दिनांक 06.01.1998 के द्वारा 2 साल की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद अपीलार्थी की सेवा नियमित कर दी गई एवं उसे राजस्थान सिविल सर्विस (संशोधित वेतनमान) 1998 के वेतनमान 3200–4000 में निर्धारित किया (अनुलग्नक–1)। 9 वर्ष की सेवाएँ पूर्ण करने के बाद अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.02.2006 द्वारा 9 वर्ष की सेवा पर देय स्वीकार कर वेतनमान 4000–6000 निर्धारित किया गया तथा उसे उसकी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया गया (अनुलग्नक–2)। आदेश दिनांक 12.06.2008 द्वारा 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत प्रथम चयनित वेतनमान को संशोधित कर वेतनमान 5000–8000 में नियत एक वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई (अनुलग्नक–3)। राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 लागू होने के बाद अपीलार्थी का वेतन आदेश दिनांक 12.10.2008 द्वारा पे बैंड 9300–34800 पर ग्रेड पे 3200/– रुपये नियत कर दिनांक 01.09.2006 से प्रभावी किया गया, जो वेतनमान 5000–8000 के आधार पर किया। जबकि अपीलार्थी को पे बैंड 9300–34800 में ग्रेड पे 3200 में 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाना था। इस प्रकार अपीलार्थी को प्रथम

चयनित वेतनमान में उस वेतन से कम वेतन दिया गया जिसके लिए वह हकदार था (अनुलग्नक–4)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2015 के द्वारा अपीलार्थी को पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है और दिनांक 19.03.2015 को पदोन्नति आदेश के अनुसरण में उसने पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। आदेश दिनांक 26.2.2015 द्वारा अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर रनिंग पे बैंड 9300–34800 ग्रेड पे 4200 निर्धारित किया गया है (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि कुछ समान स्थिति वाले व्यक्ति धर्म सिंह मीना, केदार लाल गोयल, मुकेश कुमार गुप्ता और मदन मोहन गुप्ता जो उससे कनिष्ठ हैं और अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतनमान 12,500 दिनांक 01.09.2006 से निर्धारित किया गया तथा 18 वर्ष पूर्ण होने पर वेतनमान 17,370 दिनांक 20.01.2015 से निर्धारित किया गया। अपीलार्थी सहित उपरोक्त व्यक्तियों को 19.03.2015 को पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था, तो उन्हें 01.07.2015 से अपीलार्थी से अधिक मूल वेतन मिल रहा है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 23.01. 2017 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी ने सभी पारिणामी बकाया लाभ सहित परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अनुपालन में वेतनमान 12500 में उसे ठीक करने के लिए एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी को वास्तविक आधार पर वेतन वृद्धि की वार्षिक ग्रेड प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से लाभ से वंचित किया गया था और अधिसूचना दिनांक 25.01.1992 के अनुसार चयनित वेतनमान के लाभ से भी वंचित किया गया था और 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी के निचले स्तर के वेतन पर तय किया गया था। संशोधित वेतनमान नियम 2008 के तहत अपीलार्थी को उस वेतन से कम वेतन दिया गया जिसके लिए वह हकदार था जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का घोर उल्लंघन है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अनुसार 9, 18 और 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पात्रता की तारीख से चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे तथा 09 वर्ष की सेवा के पूर्ण होने पर 12500 के वेतनमान में अपीलार्थी के वेतनमान को संशोधित करने और उसे निर्धारण की तारीख तक सभी परिणामी बकाया लाभ दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना करते हुए चयनित वेतनमान का भुगतान किया जा चुका है एवं किसी प्रकार का अनुतोष शेष नहीं रह जाता है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने राजकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपील में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अपीलार्थी की ग्राम सेवक के पद पर दो वर्ष के परिवीक्षा अवधि पर दिनांक 20.01.1997 को नियुक्ति हुई और परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर वेतन श्रृंखला 3200–4000 में वेतन निर्धारित किया गया। अपीलार्थी को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रथम नियुक्ति तिथी से दिया जाना अनुलग्नक–1 से स्पष्ट है। 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 4000–6000 में वेतन नियत किया गया और उसकी सेवापुस्तिका में दर्ज किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी का 09 वर्ष की सेवा पर प्रथम चयनित वेतनमान संशोधित किया जाकर वेतन श्रृंखला 5000–8000 में दिनांक 20.01.2006 से स्वीकृत किया गया और 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 20.01.2015 से पे बैंड 9300–34800 में स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी को ग्राम सेवक के पद से पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 18.03.2015 को पदोन्नत किया जाकर कार्यग्रहण किया जाना अपील में अंकित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उसके समान पदस्थापित अन्य कर्मचारियों को जो उसी के साथ पदोन्नत हुए है, का वेतनमान अपीलार्थी से ज्यादा है, जिसके संबंध में उसने यह कारण बताया है कि उसको वार्षिक वेतन वृद्धि प्रथम नियुक्ति तिथि से स्वीकृत नहीं की गई है और 09 वर्ष की सेवा पर प्रथम चयनित वेतनमान 9300–34800 पर ग्रेड पे 3200 स्वीकृत किया जाना चाहिए था, जबकि उसे प्रथम चयनित वेतनमान 5000–8000 स्वीकृत किया गया। इस संबंध में उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति तिथि से ही नियमित वेतन वृद्धि स्वीकृत की जा रही है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम चयनित वेतनमान 5000–8000 के बजाए पे बैंड 9300–34800 स्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसकी यह मांग किस रूप से स्वीकार्य योग्य है। अपीलार्थी द्वारा एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका विभाग द्वारा अभी तक कोई निस्तारण नहीं किया गया है। अभ्यावेदन में निवेदन किया है कि उसको मिल रहे वेतन की तुलना समान पदस्थापित कर्मचारियों से की है और अन्य सभी पदस्थापित कर्मचारियों का वेतन 01 जुलाई, 2015 से अपीलार्थी के वेतन से ज्यादा है। प्रत्यर्थी विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसका समयबद्ध निस्तारण किया जाना आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अनेक प्रकरणों में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिये गये अभ्यावेदन का समयबद्ध निस्तारण किए जाने का आदेश प्रदान किया है। अपीलार्थी द्वारा यह अभ्यावेदन दिनांक 23.01.2017 को प्रस्तुत किया जाना प्रतिवेदित है। अतः हम प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाना उचित समझते है कि

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन जो विगत लगभग साढ़े सात साल पहले से लम्बित है, का नियमों के अनुरूप परीक्षण किया जाकर आख्यात्मक आदेश प्रसारित किया जावे और अपीलार्थी को इसकी सूचना उपलब्ध कराई जावे। साथ ही यह निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी का वेतन उससे कनिष्ठ कार्मिकों के वेतन से कम है और यह असमानता नवीन वेतनमानों (वेतन आयोग) के संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प के कारण नहीं है, को नियमानुसार वेतन स्टेप का प्रकरण बताया जाकर अपीलार्थी को नियमानुसार प्रदान किया जावे। उक्त आदेश की पालना दो माह में सुनिश्चित की जावे। उक्तानुसार अपील निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)